सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 03 / 2016

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री हरीश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार उम्र 38 वर्ष जाति महाजन निवासी हंस विला कृष्णा कॉलोनी बारां (मौके पर मौजुद विक्रेता) मैसर्स महेन्द्र झालावाडी एण्ड सन्स, प्रताप चौक बारां।

2– श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नन्द लाल मैसर्स श्री नाकोडा सेल्स ऐजेन्सीज, सदर बाजार बारां (डिलर)

3– श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री जी.एल. माथुर (नोमिनि) M/s Gujarat Co-operative, Milk Marketing Federation Ltd. (Depot Jaipur GCMMF Ltd.) B-40, Keshav Path, Suraj Nagar (west), Civil Line, Jaipur-302006.

4– M/s Gujarat Co-operative, Milk Marketing Federation Ltd. (Depot Jaipur GCMMF Ltd.) B-40, Keshav Path, Suraj Nagar (west), Civil Line, Jaipur-302006.

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री नरेन्द्र सोमानी अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 01)
3– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभि. (अप्रार्थी क्रम 2, 3 व 4)

निर्णय दिनांक 22.07.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.04.2015 को मैसर्स महेन्द्र झालावाडी एण्ड सन्स, प्रताप चौक बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री हरीश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 21.04.2015 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम के 10 पैक पैकिट** विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मलाई पनीर (अमूल)** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की

सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम के 5 पैकेट** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिस की कीमत श्री हरीश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार को 300/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अभिषेक व चिन्टू के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्राम के 5 पैकेट खोलकर कदुकस करके** सुखी कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशीयों में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढंक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शीशी पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–441 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–441 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक गोलाई में फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री हरीश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2015/149 दिनांक 05.05.2015 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक FSSA/Kota/2015/405 दिनांक 29.04.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मलाई पनीर (अमूल) मिथ्याछाप (Misbranding) एवं असुरक्षित (Unsafe)** पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/249 दिनांक 07.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट से विक्रेता संतुष्ट नही होने के कारण विक्रेता ने कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील की थी। जिस पर नमूने के द्वितीय भाग रेफरल फुड लेबोरेट्री गाजियाबाद में भिजवाया गया था। निदेशक रेफरल फुड लेबोरेट्री गाजियाबाद का पत्रांक क्रमांक C.549/15-RFL/639

दिनांक 23.06.2015 द्वारा यह ज्ञात हुआ कि भेजा गया नमूना जांच योग्य नही होने के कारण तृतीय पार्ट जाचं हेतु भिजवाये एवं एफएसएसए/2015/211 दिनांक 29.06.2015 द्वारा तृतीय पार्ट जांच हेतु भेजने पर जिसकी जांच रिर्पोट निदेशक रेफरल फुड लेबोरेट्री गाजियाबाद का पत्रांक क्रमांक C.514/15-RFL/742 दिनांक 28.07.2015 द्वारा विश्लेषण का प्रमाण पत्र संख्या 514/Jul/15-RAJ दिनांक 28.07.2015 संलग्न कर दी गई के अनुसार निर्माता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मलाई पनीर (अमूल)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स महेन्द्र झालावाडी एण्ड सन्स, प्रताप चौक बारां से पत्रांक 166 दिनांक 19.05.2015 द्वारा क्रय बिल व फर्म खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं पहचान दस्तावेजों की प्रति चाही गई। मैसर्स महेन्द्र झालावाडी एण्ड सन्स द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा व बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई। मैसर्स श्री नाकोडा सेल्स ऐजेन्सीज, सदर बाजार बारां (डिलर) से पत्रांक 216 दिनांक 29.06.2015, 282 दिनांक 07.09.2015, 311 दिनांक 28.09.2015, 379 दिनांक 20.11.2015 एवं 50 दिनांक 25.01.2016 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, फर्म मालिक, पार्टनर व वाणिज्य कर रजि0 की प्रति चाही गई। मैसर्स श्री नाकोडा सेल्स ऐजेन्सीज द्वारा प्रतिउत्तर में अपना खाद्य अनुज्ञा, बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई। गुजरात कॉओपरेटीव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर के पत्रांक 53 दिनांक 29.01.2016 से सूचना चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में नोमिनि फॉर्म नं0 9, वेट–03 फार्म एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति भिजवाई गई जिसमें श्री अशोक कुमार माथुर पुत्र श्री जी.एल. माथुर (नोमिनि) M/s Gujarat Co-operative, Milk Marketing Federation Ltd. (Depot Jaipur GCMMF Ltd.) B-40, Keshav Path, Suraj Nagar (west), Civil Line, Jaipur-302006 होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 14.03.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अभिभाषक उपस्थित है। अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 द्वारा मय अभिभाषक जवाब प्रस्तुत कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे दौराने बहस अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्रा0** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ा) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक ने कहा कि अप्रार्थी क्रम 01 अमूल कम्पनी के उत्पाद के विक्रेता है। अप्रार्थी क्रम 02 हॉल सेलर है एवं अप्रार्थी क्रम 03 कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधी है एवं अप्रार्थी क्रम 04 निर्माता कम्पनी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा अप्रार्थी क्रम 01 मैसर्स महेन्द्र झालावाडी एण्ड सन्स, प्रताप चौक बारां पर उत्पाद अमूल मलाई पनीर 200 ग्राम के पैकिट में मिलावटी व मिथ्या छाप होने के शक के आधार पर दिनांक 21.04.2015 को लिए गये नमूनों की खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच दिनांक 29.04.2015 के आधार पर उक्त उत्पाद अमूल मलाई पनीर को उसके कवर पर नाम अमूल मलाई पनीर अंकित होने के कारण Misbrand एवं कवर पर Common Salt अंकित होने के कारण "Unsafe" Under section 3 (1)(zz)(v)(xi) बताया गया। उसके पश्चात उक्त प्रोडक्ट की जांच रैफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार गाजियाबाद द्वारा करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 28.07.2015 को लेबोरेट्री द्वारा जारी की गई, जिसमें उत्पाद में Milk Fat की मात्रा कम अर्थात 39.30 प्रतिशत पायी गई एवं उत्पाद को सब स्टेण्डर्ड बताया गया।

उक्त दोनो लेबोरेट्रीज की जांच रिपोर्टस आपस में विरोधाभासी है, क्योकि कोटा लेब द्वारा सेम्पल को Misbrand एवं Unsafe होने का कारण उसका कवर पर अंकित नाम एवं कवर पर Common Salt अंकित होना बताया गया है जबकि गाजियाबाद की लेब द्वारा ना तो कवर पर अंकित उत्पाद के नाम एव ंना ही उक्त कवर पर अंकित Comman Salt के आधारों पर उत्पाद को Misbrand एवं Unsafe बताया गया है। इस प्रकार दोनों लेबोरेट्रीज की जांच आपस में विरोधाभासी है। कोटा लेबोरेट्री द्वारा उत्पाद में Milk Fat 60.32 प्रतिशत बताया गया है, साथ ही जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि उक्त Fat 50 प्रतिशत से अधिक आवश्यक है। वही दूसरी ओर गाजियाबाद की जांच लेबोरेट्री द्वारा उत्पाद में Milk Fat 39.30 प्रतिशत अंकित किया गया है। उक्त जांच पूर्व में कोटा लेबोरेट्री में की गई जांच की दिनांक से लगभग तीन माह पश्चात की गई थी। इस प्रकार दोनो जांच लेबोरेट्री की जांच रिपोर्टस उत्पाद के सम्बन्ध में किसी भी रूप से विश्वसनीय प्रकट नही होती है।

यह कि Fssai के मानको के अनुरूप में किसी भी उत्पाद का किन्ही दो अलग–अलग जांच लेबोरेट्री की रिपोर्टस में इतना विभेद आना यह प्रदर्शित करता है कि लिये गये सैम्पल सही प्रक्रिया से नही लिये गये है एवं उत्पाद पूर्ण रूप से मानकों पर विश्वसनीय होने के बावजूद भी जान बुझकर उसे दोषपूर्ण करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। दो जांच लेबोरेट्री की जांच रिपोर्ट में 0.30 प्रतिशत से ज्यादा का अन्तर आता है तो ऐसी जांच रिपोर्टस को किसी भी रूप में विश्वसनीय नही कहा जा सकता। क्योंकि ऐसी रिपोर्टस आपस में विरोधाभासी होने के साथ–साथ उत्पाद की प्रकृति एवं निर्माण पर बिना किसी वैध के आधार के उसकी ख्याति एवं प्रतिष्ठा को नुकसान एवं क्षति कारित करने वाली है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मलाई पनीर (अमूल) 200 ग्रा0 पैक** अंतिम जॉच रिपोर्ट मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 को 3,000/– 3000/–रूपये की जुर्माना राशि, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 12,000/– रूपये अक्षरे बारह हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)